

## आर्मेनियाई नरसंहार

### प्रलिम्स के लिये:

नरसंहार, नरसंहार अपराध की रोकथाम और सज़ा पर अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र महासभा, भारतीय दंड संहिता (IPC), अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21

### मेन्स के लिये:

नरसंहार और इसके नतीजे, अंतरराष्ट्रीय उपाय, नरसंहार से नपिटने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदम

## चर्चा में क्यों?

ऐसा माना जाता है कि [आर्मेनियाई नरसंहार](#) की शुरुआत **24 अप्रैल, 1915** को हुई, यह वह समय था जब ओटोमन/तुर्क साम्राज्य (वर्तमान में तुर्क) ने कांस्टेंटिनोपल में आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों और नेताओं को हरिसत में लेना शुरू कर दिया था।

## नरसंहार:

### ■ उदय:

- 'नरसंहार' शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1944 में **पोलिश वकील राफेल लेमकनि** ने अपनी पुस्तक **एक्ससिस रूल इन ऑक्युपाइड यूरोप** में किया था।

### ■ परिचय:

- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार**, नरसंहार एक विशेष जातीय, नस्लीय, धार्मिक अथवा राष्ट्रीय समूह का उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित विध्वंस है।
- इसे विभिन्न तरीकों से अंजाम दिया जा सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या, जबरन स्थानांतरण और कठोर परिस्थितियों में जीने के लिये बाध्य करना शामिल है, जिस कारण बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं।


### ■ शर्तें/स्थिति:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, **नरसंहार अपराध के दो प्रमुख घटक होते हैं:**
  - **मानसिक घटक:** इसके अंतर्गत किसी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक समूह को आंशिक या फरि पूरी तहत नष्ट करने का प्रयास किया जाता है।
  - **शारीरिक घटक:** इसके अंतर्गत होने वाली नमिनलखिति पाँच प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं:
    - किसी समूह के सदस्यों की **हत्या करना**।
    - किसी समूह के सदस्यों को **शारीरिक अथवा मानसिक रूप से गंभीर क्षति पहुँचाना**।
    - **बदहाल जीवन जीने के लिये मजबूर करना**।
    - ऐसे उपाय लागू करना जिससे किसी समूह विशेष की **जनसंख्या में वृद्धि अथवा जन्म दर को पूर्ण रूप से बाधित अथवा सीमित** किया जा सके।
    - एक समूह के बच्चों को किसी दूसरे समूह में **जबरन स्थानांतरित करना**।
- साथ ही किसी घटना को **नरसंहार** तभी कहा जा सकता है जब हमले में **व्यक्तिके बजाय लक्षित समूह के सदस्यों को नशाना बनाया जाता है**।

### ■ नरसंहार अभिसमय:

- **नरसंहार अभिसमय एक अंतरराष्ट्रीय संधि है** जिसने [नरसंहार की रोकथाम और सज़ा पर अभिसमय](#) के रूप में भी जाना जाता है, इसे **UNGA** द्वारा **9 दिसंबर, 1948** को अपनाया गया था।

- इसका उद्देश्य नरसंहार के अपराध को रोकना और हस्ताक्षरकर्त्ता राष्ट्रों को नरसंहार को रोकने तथा संबद्ध तत्त्वों को दंडित करने के लिये कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत **नरसंहार को आपराधिक श्रेणी में शामिल करने वाले कानूनों को लागू करना** एवं इस कृत्य में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच तथा अभियोजन कार्य में अन्य देशों को सहयोग करना शामिल है।
- **इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस/अंतरराष्ट्रीय न्यायालय** को इस अभिसमय की व्याख्या करने और लागू करने की ज़िम्मेदारी के साथ प्राथमिक न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह **9 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा अपनाई गई **पहली मानवाधिकार संधि** थी।



## आर्मेनियाई नरसंहार:

- **पृष्ठभूमि:** आर्मेनियाई लोगों का इतिहास प्राचीन है जिनकी पारंपरिक मातृभूमि **20वीं शताब्दी की शुरुआत तक रूसी और तुर्क साम्राज्यों (Ottoman Empires) के बीच वभाजित थी।**
  - **मुसलमानों के प्रभुत्व वाले तुर्क साम्राज्य** में आर्मेनियाई **समृद्ध ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय थे।**
  - अपने धर्म के कारण उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, जिसका वे वरोध कर रहे थे और सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। इससे इस समुदाय के खिलाफ काफी नाराज़गी जताई गई और इन पर हमले किये गए थे।
- **युवा तुर्कों और प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका:** वर्ष 1908 में **यंग तुर्क** नामक एक समूह ने क्रांतिकर **संघ और प्रगति समिति (CUP)** के लिये सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, जो साम्राज्य का **'तुर्कीकरण' करना** चाहती थी, साथ ही यह अल्पसंख्यकों के प्रति किटोर थी।
  - **अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध** की शुरुआत के परिणामस्वरूप तुर्क साम्राज्य ने **रूस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस** के खिलाफ **जर्मनी एवं ऑस्ट्रिया-हंगरी** का साथ दिया।
  - इस युद्ध ने **आर्मेनियाई** लोगों के प्रति शत्रुता बढ़ा दी, विशेष रूप से कुछ आर्मेनियाई, **रूस** के प्रति सहानुभूति रखते थे और यहाँ तक कि युद्ध में उसकी मदद करने को तैयार थे।
    - जल्द ही सभी आर्मेनियाई लोगों को एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा।
  - 14 अप्रैल, 1915 को **कांसटेंटिनोपल** में प्रमुख नागरिकों की गरिफ्तारी के साथ समुदाय पर कार्रवाई शुरू हुई, जिनमें से कई को मार दिया गया था।
    - सरकार ने तब **आर्मेनियाई लोगों** को बलपूर्वक नरिवासित करने का आदेश दिया।
    - वर्ष 1915 में तुर्क सरकार ने अपने **पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्रों से आर्मेनियाई आबादी को नरिवासित कर दिया।**
- **'नरसंहार' के रूप में मान्यता:** आर्मेनियाई नरसंहार को अब तक 32 देशों द्वारा मान्यता दी गई है, जिनमें **अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी** शामिल हैं।

- भारत और यूके आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देते हैं। भारत के रुख का कारण उसकीव्यापक वदेश नीतिके फैसले और क्षेत्र में भू-राजनीतिक हितों को माना जा सकता है।
- तुर्की, जो क आर्मेनियाई नरसंहार को मान्यता नहीं देता है, ने हमेशा दावा किया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौलें नयोजति और लक्षति थीं।
- आर्मेनिया-तुर्की संबंधों की वर्तमान स्थिति: आर्मेनिया के तुर्की के साथ अतीत में बेहतर संबंध रहे हैं, हालाँकि अब [नागोर्नो-काराबाख क्षेत्र](#) में जो क अज़रबैजान का आर्मेनियाई बहुल हसिसा एक वविादति क्षेत्र है, को लेकर तुर्की, अज़रबैजान का समर्थन करता है।

## नरसंहार पर भारत में कानून और वनियम:

- नरसंहार पर भारत के पास कोई घरेलू कानून नहीं है, भले ही उसने नरसंहार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC):
  - [भारतीय दंड संहिता \(IPC\)](#) नरसंहार और संबंधित अपराधों की सज़ा का प्रावधान करती है तथा जाँच, अभियोजन एवं सज़ा के लिये प्रक्रियाओं को नरिधारति करती है।
  - [IPC की धारा 153B](#) के तहत नरसंहार को एक अपराध के रूप में परभाषति किया गया है, जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, नविस, भाषा आदि के आधार पर वभिन्नि समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को आपराध की श्रेणी में लाती है।
- संवधानिक प्रावधान:
  - भारतीय संवधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खलिाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
    - संवधान का [अनुच्छेद 15](#) इन आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
    - [अनुच्छेद 21](#) जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।

## आगे की राह

नरसंहार की रोकथाम और सज़ा एक जटलि मुद्दा है जिसके लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कुछ संभावति तरीकों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **कानूनी ढाँचे को सशक्त करना:** सभी देशों को नरसंहार तथा संबंधित अपराधों को अपराध ठहराने वाले कानूनों को अपनाना और लागू करना जारी रखना चाहिये। सरकारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप हों, जैसे नरसंहार अभिसिमय।
- **शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना:** शिक्षा और जागरूकता अभियान वभिन्नि समूहों के बीच सहषिणुता एवं समझ को बढ़ावा देने और भेदभाव तथा हसिसा की संभावना को कम करने में सहायता कर सकते हैं। सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य हतिधारकों को इन पहलों को बढ़ावा देने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास से वभिन्नि समूहों के बीच बढ़ते तनाव का पता लगाने और उसे रोकने में सहायता मलि सकती है। इन प्रणालियों में अभद्र भाषा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा संभावति हसिसा के अन्य संकेतकों की नगिरानी शामिल हो सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** नरसंहार की रोकथाम और दंड में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। नरसंहार के घटनाओं को रोकने और प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये सभी देशों को सूचना, संसाधनों तथा वशिषज्जता को साझा करने के लिये एकमत होकर कार्य करना चाहिये।
- **पीड़ितों को सहायता:** उपचार और सुलह को बढ़ावा देने के लिये नरसंहार के पीड़ितों के लिये समर्थन और क्षतपूरति का प्रावधान करना आवश्यक है। सरकारों एवं अन्य हतिधारकों को पीड़ितों को सहायता के लिये एक साथ कार्य करना चाहिये, जिसमें न्याय, क्षतपूरति और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच शामिल है।
- **मूल कारणों को संबोधति करना:** नरसंहार की रोकथाम के लिये भेदभाव और हसिसा के मूल कारणों को संबोधति करना आवश्यक है। इसमें गरीबी, असमानता एवं सामाजिक बहिष्कार को संबोधति करने के साथ-साथ समावेशी शासन तथा लोकतांत्रिक संस्थानों को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।

## [स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)